

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. दांडिक अपील (एसबी) संख्या 1794/2024

सुवालाल पुत्र श्री लटुलाल, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी सुरे पी.एस. राजगढ़, जिला
अलवर

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य राजस्थान, जरिये पीपी, जोधपुर

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी(ओं) के लिए : श्री चिरंजील लाल माली

प्रत्यर्थी(ओं) के लिए : श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, डिप्टी जी.ए.

श्री रवींद्र सिंह ए.जी.ए.

श्री शंकर लाल डिप्टी एस.पी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् फरजंद अली

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

23/04/2025

1. वर्तमान अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम मामलें), जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31-01-2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले में आगे के अनुसंधान के लिए अपीलार्थी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने, केस डायरी की जांच करने एवं अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने शव-परीक्षा रिपोर्ट

तथा संबंधित अभिलेखों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया है, जिसमें मोदी के चिकित्सीय न्यायशास्त्र में फंदे पर लटकने और गला घोटने संबंधी संदर्भ शामिल हैं।

2.1 यद्यपि वर्तमान में किसी भी विनिर्दिष्ट अभियुक्त के अपराध को इंगित करने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं है, तथापि महत्वपूर्ण संदेहजनक परिस्थितियाँ विधिसम्मत चिंताएं उत्पन्न करती हैं। केस डायरी के साथ संलग्न रंगीन तस्वीरें यह विश्वास दिलाने का सुझाव नहीं देती हैं कि यह फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला है। मृतक की गर्दन पर पाए गए निशान फंदा लगाकर आत्महत्या करने की स्थिति में देखे जाने वाले विशिष्ट लक्षणों के संगत नहीं हैं। यद्यपि यह न्यायालय चिकित्सा विशेषज्ञों के निष्कर्षों को अध्यारोही करने का दावा नहीं करता है, तथापि इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि इसके अवलोकनों को न्यायिक संदेह व्यक्त करने के रूप में माना जाना चाहिए।

2.2 महत्वपूर्ण रूप से, एक विधिवत् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा तैयार की गई शवपरीक्षा रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि मुँह से लार टपकती हुई नहीं पाई गई; जो कि फंदे पर लटकने के मामलों में एक आम लक्षण है। फाँसी में, गर्दन की झुकी हुई स्थिति आमतौर पर लार को ठुड़ी और सीने पर टपकने का कारण बनती है। वर्तमान मामले में यह लक्षण अनुपस्थित था।

फाँसी और गला घोटकर हत्या के बीच चिकित्सा-विधिक अंतर पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए, नीचे एक तुलनात्मक तालिका दी गई है-

फाँसी	गला घोटना
1. अधिकांशतः आत्मघाती	1. अधिकांशतः मानववध
2. बंधक चिह्न, तिरछा, असंतुलित/असतत, ठुड़ी और स्वरयंत्र के बीच गर्दन में ऊपर की ओर स्थित, खाँचे या नाली का आधार कठोर, पीला और चर्मपत्र जैसा होता है।	2. बंधक चिह्न, क्षैतिज या अनुप्रस्थ, सतत, गर्दन के चारों ओर, थायराइड से नीचे गर्दन में निचले हिस्से में, खाँचे या नाली का आधार नरम और लालिमायुक्त होता है।
3. बंधक चिह्न के किनारों के चारों ओर घर्षण और रक्तविसरण, दुर्लभ।	3. बंधक चिह्न के किनारों के चारों ओर घर्षण और रक्तविसरण, सामान्य।

4. चिह्न के नीचे के उपचर्म ऊतक श्वेत, कठोर और चमकदार।	4. चिह्न के नीचे के उपचर्म ऊतक रक्तविसर्जित।
5. गर्दन की मांसपेशियों को चोट, दुर्लभ।	5. गर्दन की मांसपेशियों को चोट, सामान्य।
6. कैरोटिड धमनियां, लंबी छलांग वाले हिंसक मामलों में आंतरिक आवरण फटे हुए होते हैं।	6. कैरोटिड धमनी, आंतरिक परतें सामान्यतः फट जाती हैं।
7. कंठिका और श्वासनली का फ्रैक्चर, बहुत दुर्लभ और वह भी न्यायिक फांसी में।	7. कंठिका और श्वासनली का फ्रैक्चर, अक्सर पाया जाता है, साथ ही हायॉइड हड्डी भी।
8. गर्दनी कशेरुक का फ्रैक्चर डिसलोकेशन, न्यायिक फांसी में सामान्य।	8. गर्दनी कशेरुक का फ्रैक्चर-डिसलोकेशन, दुर्लभ।
9. चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर खरोंच, घिसावट और चोट के दाग, सामान्यतया मौजूद नहीं होते।	9. चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर खरोंच, घिसावट और चोट के दाग, आमतौर पर मौजूद होते हैं।
10. चेहरा, आमतौर पर पीला और कोई पेटिकिया नहीं।	10. चेहरा, रक्त से भरा हुआ, नीला और पेटिकिया से चिह्नित।
11. गर्दन, ताज़ा शवों में खिंची और लंबी हुई।	11. गर्दन, ऐसा नहीं।
12. श्वासावरोध के बाहरी लक्षण, आमतौर पर अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं।	12. श्वासावरोध के बाहरी लक्षण, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होते हैं (यदि मृत्यु वासो-वैगल प्रभाव) के कारण हुई है तो ये न्यूनतम होते हैं)।।
13. नाक, मुंह और कान से रक्तस्राव, बहुत दुर्लभ।	13. नाक, मुंह और कान से रक्तस्राव, पाया जा सकता है।

14. लार, मुंह से बहकर ठोड़ी और छाती पर उतरती हुई।	14. लार, ऐसा कोई बहना नहीं।
15. फेफड़ों की सतह पर एम्फिसेमेटस धब्बे, मौजूद नहीं।	15. फेफड़ों की सतह पर एम्फिसेमेटस धब्बे, मौजूद हो सकते हैं।

2.3 चिकित्सा बोर्ड ने स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण गला घोटने की वजह से श्वासावरोध था। पुलिस अधिकारी इसे फाँसी का मामला दिखाने पर क्यों अडिग हैं, यह विचार करने का एक और प्रश्न है। तीन चिकित्सकों द्वारा विधिवत गठित बोर्ड, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मृतक के शरीर का परीक्षण और शव-परीक्षण किया, की राय की कैसे अवहेलना की जा सकती है, यह एक अन्य बिंदु है जिस पर विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी भी अभियुक्त की दोषिता के संबंध में पर्याप्त सामग्री एकत्र नहीं की गई हो; तथापि, यह मृत्यु के तरीके को बदलने का एक वैध आधार नहीं हो सकता है। यदि यह गला घोटने का मामला है, तो यह स्व-कृत्य नहीं हो सकता था, और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि किसी ने मृतक का गला घोंटा था। इसमें एक गरीब व्यक्ति की मृत्यु शामिल है। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा आगे के अनुसंधान के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

3. इसके बावजूद, अन्वेषण अभिकरण इस मृत्यु को फाँसी का मामला मानने पर अड़ी हुई प्रतीत होती है, जो अन्वेषण के उद्देश्य पर गंभीर चिंता पैदा करता है।

4. यह चिंताजनक है कि तीन चिकित्सकों द्वारा एक विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड की राय को, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पोस्टमार्टम किया था, उचित महत्व नहीं दिया गया है। हालाँकि यह सच हो सकता है कि किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध अभी तक पर्याप्त साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हैं, लेकिन यह मृत्यु के तरीके को फिर से वर्गीकृत करने को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है।

5. यदि मृत्यु गला घोटने के कारण हुई थी, तो इसके स्वयं द्वारा किए जाने की संभावना अत्यंत कम है और सामान्य परिस्थितियों में, मानववध की उपधारणा उत्पन्न होगी।

6. यह एक गरीब व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु से जुड़ा मामला है और न्याय की मांग है कि निष्पक्ष तथा गहन अनुसंधान किया जाए। विचारण न्यायालय ने आगे के अनुसंधान के अनुरोध को अस्वीकार करने में त्रुटि की है, विशेष रूप से तब जब मजबूत संदेहास्पद परिस्थितियाँ इसके संज्ञान में लाई गई थीं।

7. अभ्यापत्ति याचिका या आगे के अनुसंधान के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, न्यायालय से साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जब गंभीर संदेह या संदेहास्पद परिस्थितियाँ उठाई जाती हैं, तो अग्रिम अनुसंधान की अनुमति देना उचित और आवश्यक दोनों है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांकित 31-01-2024 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :

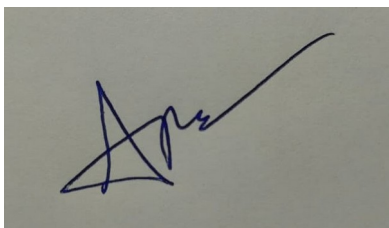
- संबंधित पुलिस थाने के थानाधिकारी को केस डायरी लौटाई जावे।
- जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) पत्रावली महानिरीक्षक (IG) रैंज को अग्रेषित करेंगे।
- महानिरीक्षक मामले में आगे के अनुसंधान के लिए पुलिस अधिकारी को नियुक्त करेंगे जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Addl. SP) की रैंक से नीचे का न हो।

9. आगे का अनुसंधान पूर्ण होने पर, अनुसंधान अधिकारी सक्षम न्यायालय के समक्ष परिणाम दायर करेंगे।

(फरजंद अली), जे

38-ममता/-

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

आदित्यप्रताप सिंह निरवान